वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई, 2017-वैशाख 15, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Sunil Bugde here by declare that I have change my name as Sunil Bhaskarrao Bugde S/o Bhaskar Rao Bugde so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(SUNIL BUGDE)

New Name :

(SUNIL BHASKARRAO BUGDE)
S/o Bhaskar Rao Bugde,
Add.- 252, Dhanwantari Nagar,
Rajendra Nagar, Indore (M.P.).

(69-B.)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सेवकराम पवार पिता स्व. धनीराम, उम्र 35 वर्ष निवासी-म.नं. 1284, डॉ. बब्बर रोड, नरसिंग नगर, रांझी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश. मैं, अपने उक्त नाम को परिवर्तित कर शैलेष पवार करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकांश लोग शैलेष पवार नाम से ही जानते हैं. अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे सेवकराम पवार के स्थान पर शैलेष पवार के नाम से जाना जाये तथा समस्त पत्र व्यवहार इसी नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

(सेवकराम पवार)

नया नाम :

(शैलेष पवार)
निवासी-म.नं. 1284, डॉ. बब्बर रोड,
नरसिंग नगर, रांझी,
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.

(75-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम वास्तविक रूप से बोंदरसिंह पिता श्री टक्करसिंह कलेश है. मैं, ग्राम गडात, तहसील एवं जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ. माता-पिता और परिवार के अशिक्षित सदस्यों ने बोलचाल की भाषा में मुझे बंदरसिंह के नाम से पुकारते थे, किन्तु मेरा वास्तविक नाम बोंदरसिंह कलेश है. इसलिये मेरा नाम बंदरसिंह के स्थान पर बोंदरसिंह पढ़ा जावे. मेरी पेतृक कृषि भूमि और आधार कार्ड तथा मतदाता परिचय-पत्र में भी मेरा वास्तविक नाम बोंदरसिंह ही है तथा भविष्य में भी शासकीय पत्राचार में बोंदरसिंह कलेश के नाम से ही जाना, पहचाना जाऊंगा.

(बोंदरसिंह कलेश)
डिप्टी कलेक्टर,
जिला बड़वानी (म.प्र.).

(74-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार धर्मेन्द्र जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, निवासी नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर के रहने वाले हैं. मेरे पक्षकार श्री धर्मेन्द्र जैन की पुत्री कु. खुशी जैन का जन्म दिनांक 25 फरवरी, 2004 को कॉल नर्सिंग होम, ग्वालियर में हुआ था, जिसका जन्म प्रमाण-पत्र मेरे पक्षकार द्वारा बनवाकर प्राप्त कर लिया गया था, जिसमें मेरे पक्षकार का नाम धर्मेन्द्र जैन के स्थान पर नितिन जैन अंकित हो गया था, जो भूलवश अंकित हो गया है एवं उक्त नाम सही नहीं है जबकि मेरे पक्षकार का सही नाम धर्मेन्द्र जैन ही है.

अतः सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के नाम को अब धर्मेन्द्र जैन ही पढ़ा जावे एवं यदि उक्त नाम के सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की कोई उज्र या आपत्ति हो तो वह 07 दिवस की अवधि में मेरे कार्यालय में उपयुक्त दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर मुझसे सम्पर्क करें. सूचित हों.

(ANKUR MODY)
MODY & MODY ADVOCATES,
Parakhji Ka Bada, Doulatganj,
Lashkar, Gwalior (M.P.).

(77-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे विश्वास भटनागर पिता श्री विजय भटनागर के नाम से जाना जाता था, अब मेरा नाम विक्की भटनागर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे विक्की भटनागर नाम से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(विश्वास भटनागर)

नया नाम :
(विक्की भटनागर)
36/1, तात्या सरवटे नगर, गली नं. 3,
इन्दौर (म.प्र.).

(76-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी मार्कशीट में मेरा नाम रवि प्रकाश (RAVI PRAKASH) अंकित है. पी.एस.यू. (एस.बी.आई.) में आने के उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रवि प्रकाश सिंह (RAVI PRAKASH SINGH) रख लिया है, जो कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड एवं समस्त दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में भी अंकित है.

यहकि, अब भविष्य में मुझे रवि प्रकाश सिंह (RAVI PRAKASH SINGH) के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रवि प्रकाश)
(RAVI PRAKASH)

नया नाम :
(रवि प्रकाश सिंह)
(RAVI PRAKASH SINGH)
पुत्र श्री भगवान सिंह,
निवासी-202, आदित्य प्लाजा अपार्टमेन्ट,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(78-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म वर्धमान रेंसीडेंसी, छिन्दवाड़ा पंजीयन क्रमांक 04/17/01/00117/14, सन् 2014-15 की रचना में दिनांक 31 मार्च, 2016 से (1) अमरेश गोयल पिता स्व. धन्यकुमार गोयल, (2) श्रीमति मिथलेश जैन पति श्री स्व. धन्यकुमार गोयल, (3) रितु गोयल पति श्री अमरेश गोयल ने फर्म वर्धमान रेंसीडेंसी, छिन्दवाड़ा से दिनांक 31 मार्च, 2016 को पृथक् कर लिया है.

इस प्रकार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से चालू रहने वाले साझेदार फर्म का कार्यभार सम्हालेंगे.

संदीप गुमास्ता,
अधिवक्ता,
प्रियदर्शनी कॉलोनी, छिन्दवाड़ा.

(71-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ईशान एसोसिएट्स शॉप नं. 102, आर.एन.टी. कॉम्पलेक्स, नगर निगम के पास, सागर, मध्यप्रदेश का पुनर्गठन दिनांक 01 मई, 2016 का किया जाना है, जिसके अंतर्गत श्रीमती मीना चौकसे भागीदार फर्म से अपने निजी कारणों बावत निवृत्त हो चुकी हैं.

अत: फर्म में शेष दो साझेदार श्री योगेश शर्मा एवं श्री आदेश दीक्षित रहेंगे.

ईशान एसोसिएट्स,
योगेश शर्मा,
(पार्टनर).

(72-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अल्टीमेट कंस्ट्रक्शन पंजीयन क्रमांक 00118/10, मकान नं. 40 के.एन. प्रधान इन्क्लेव, बाबड़िया कला, भोपाल के भागीदारी विलेख में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है- श्री रामचरण सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी-मकान नं. 40 के.एन. प्रधान इन्क्लेव, बाबड़िया कला, भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से आपसी सहमति से निवृत किया जाता है एवं श्री रतनेश लोधी आत्मज श्री सुखदेव सिंह निवासी-मकान नं. 40 के.एन. प्रधान इन्क्लेव, बाबड़िया कला को फर्म का नया भागीदार लाया गया. अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित भागीदार नया एवं निवृत भागीदार से फर्म संबंधी कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो तो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

शिवल सिंह चौहान,
(अधिवक्ता)
पता-194, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल.

(73-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the Firms "M/s. JATASHANKAR MINERAL'S" of Sagar vide Registration No. 06/12/01/00034/10, 2010-11 Dated 21st May, 2010 undergone the following changes :-

1. That Shri Shiv Kumar Singh S/o Shri Ratnesh Kumar & Shri Girraj Singh Parmar S/o Shri Munna Singh Parmar has joined the firm and Shri Abhay Singh Bhadoriya S/o Shri Satya Ram Singh Bhadoriya has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 16 March, 2016.
2. That the Principal place of business is shifted at House No.-16, Sector-4, Peptech Town, Nowgong Road, Chhatarpur (M.P.) w.e.f. 16 March, 2016.

"M/s. JATASHANKAR MINERAL'S"
SUBODH DWIVEDI,
(Partner).
House No.-16, Sector-4, Peptech Town,
Nowgong Road, Chhatarpur (M.P.

(79-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the Firms "M/s. CHANDRIKA MINES & MINERALS" of Bhopal vide Registration 01/01/01/00182/08, 2007-08 Dated 04th January, 2008 undergone the following changes :-

1. That Shri Shiv Kumar Singh S/o Shri Ratnesh Kumar & Shri Girraj Singh Parmar S/o Shri Munna Singh Parmar has joined the firm and Shri Chandra Bhushan Dwivedi S/o Late Shri Chaturbhuj has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 15 December, 2014.

"M/s. CHANDRIKA MINES & MINERALS"
SUBODH DWIVEDI,
(Partner).
62, Laxmi Parisar, E-8, Extension
Arera Colony, Gulmohar, Bhopal (M.P.)

(80-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर, जिला बड़वानी

रा.प्र.क्र. 2/बी-113/2016-17 **फार्म नं.-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

नोटिस

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, राजपुर के समक्ष

आवेदक रमेश चौहान पिता मांगीलाल चौहान, निवासी मेन रोड़, ठीकरी, तहसील ठीकरी, अध्यक्ष, श्री सांईधाम मंदिर ट्रस्ट, ठीकरी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री सांईधााम मन्दिर ट्रस्ट, ठीकरी के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस के प्रकाशन के एक माह की अवधि के भीतर दो प्रतियों में मेरे समक्ष या तो स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालयीन समय में प्रस्तुत करे. नियत समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने वाले सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे समक्ष एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. कलेश,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1216)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर

प्रारूप-4

रा. प्र. क्रमांक /बी-113(4)/2016-17.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962, नियम-5(1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक माँ नर्मदा तिलवारा ट्रस्ट द्वारा तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, गोरखपुर, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 की धारा-6 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 27 मार्च, 2017 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

"अनुसूची"

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : माँ नर्मदा तिलवारा ट्रस्ट.

2. चल/स्थावर सम्पत्ति : तिलवारा घाट ख. नं. 56/1 का अंश रकबा 2.00 हेक्टे. (5 एकड़ का क्षेत्र)

3. अचल सम्पत्ति : 3,00,00,000 (तीन करोड़) स्थावर सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, शासकीय कलेक्टर गाईड लाईन के आधाार पर.

4. न्यास की आय का स्रोत :
1. दान से
2. घाट के स्रोतो से प्राप्त आय
3. मोटर/साइकिल स्टैण्ड से प्राप्त आय
4. किसी भी संस्था से प्राप्त धन
5. घाट में सम्पन्न होने वाले कार्यक्रम से प्राप्त आय
6. आम जन से प्राप्त होने वाली राशि
7. घाट पर व्यावसायिक क्षेत्र होने पर अर्जित होने वाली आय
8. नाव परिक्रमा से प्राप्त होने वाली राशि से आय

दिनांक 17 फरवरी, 2016.

अरविंद सिंह,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(1206)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास उपखण्ड-सिंगोली, जिला नीमच

प्र.क्र. 3/बी-113(1)/2016-17 प्रोसेस नं. 45

दिनांक 04 अप्रैल, 2017

प्रारूप क्रमांक - 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) ओर मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृति धार्मिक एवं परमार्थ संस्थान (ट्रस्ट) विमर्श मांगलिक भवन, सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 22 मई, 2017 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : श्री श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन श्रवण संस्कृति धार्मिक एवं परमार्थ संस्थान (ट्रस्ट) विमर्श मांगलिक भवन, सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश.

संपत्ति का विवरण : निरंक.

(1207)

प्र.क्र. 2/बी-113(1)/2016-17 प्रोसेस नं. 45

दिनांक 01 मार्च, 2017

प्रारूप क्रमांक - 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) ओर मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 13 अप्रैल, 2017 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री कुन्द कुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, तहसील सिंगोली, जिला नीमच, मध्यप्रदेश.
संपत्ति का विवरण	:	बैंक में जमा राशि रु. 11,000/- ग्यारह हजार रुपये मात्र (खाता क्र. 35897397969)

गरिमा रावत,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1208)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र.673/अ. वि. अ./वृत्त गो./17.—आवेदक श्री चन्देश्वर प्रसाद आत्मज श्री सौदागर प्रसाद, निवासी-एल.आई.जी.-65, बी सेक्टर, सोनागिरी पिपलानी, भोपाल, मध्यप्रदेश की संस्था "श्रीमती मिश्री देवी शर्मा स्मृति न्यास" के द्वारा म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्रीमती मिश्री देवी शर्मा स्मृति न्यास"
न्यास कार्यालय का पता	:	एस एफ-3, लीला टावर, एच आई जी-9, बी सेक्टर, सोनागिरी भोपाल, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	10,000/-

मुकुल गुप्ता,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1209)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5 (3) के अन्तर्गत]

आवेदक चडदीकला सार्वजनिक पारमार्थिक ट्रस्ट, सिख मोहल्ला, इन्दौर, पता-3/1, सिख मोहल्ला, इन्दौर, तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री जसपालसिंह पिता श्री ईश्वरसिंह सुदन अन्य-5, पता-13, न्यू रानीबाग, इन्दौर के द्वारा चडदीकला सार्वजनिक पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता 3/1, सिख मोहल्ला, इन्दौर, जिला इन्दौर, म. प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	चडदीकला सार्वजनिक पारमार्थिक ट्रस्ट, सिख मोहल्ला, इन्दौर.
पता	:	3/1, सिख मोहल्ला, इन्दौर.
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 16 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1211)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक भगवान उदयराम देवनारायण मंदिर सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-देवधरम टेकरी, ग्राम जम्बुडी हप्सी, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री लक्ष्मीनारायण पिता जगरूप गुर्जर, निवासी पता-59, रूपराम नगर, इन्दौर के द्वारा भगवान उदयराम देवनारायण मंदिर सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट कार्यालय पता-देवधरम टेकरी, ग्राम जम्बुडी हप्सी, इन्दौर, म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"भगवान उदयराम देवनारायण मंदिर सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट"
पता	:	कार्यालय पता-देवधरम टेकरी, ग्राम जम्बुडी हप्सी, इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 21,000/-(अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) नकद है.

आज दिनांक 27 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1212)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "जल एवं तालाब संरक्षण समिति", इन्दौर, पता-स्कीम नं. 97/4, प्लॉट ए, ओम हाईट्स, राजेन्द्र नगर, रिंग रोड, इन्दौर (म. प्र.) तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री बलराम वर्मा, निवासी-5, अहिल्यापुरी, इन्द्रपुरी के पास, ए. बी. रोड, इन्दौर द्वारा "जल एवं तालाब संरक्षण समिति" पता-स्कीम नं. 97/4, प्लॉट ए, ओम हाईट्स, राजेन्द्र नगर, रिंग रोड, इन्दौर (म. प्र.) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"जल एवं तालाब संरक्षण समिति"
पता	:	कार्यालय पता-स्कीम नं. 97/4, प्लॉट ए, ओम हाईट्स, राजेन्द्र नगर, रिंग रोड, इन्दौर.
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 2,000/-(अक्षरी रुपये दो हजार मात्र) है.

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1213)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक "श्री सरयु-तुलसी सर्वोन्मुखी विकास न्यास", इन्दौर, पता-40, शंकरगंज, इन्दौर (म. प्र.) तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री अजय तिवारी पिता श्री नर्बादा प्रसाद तिवारी, निवासी-3, शेषाद्री कॉलोनी, इन्दौर द्वारा "श्री सरयु-तुलसी सर्वोन्मुखी विकास न्यास", पता-40, शंकरगंज, इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री सरयु-तुलसी सर्वोन्मुखी विकास न्यास"
पता	:	कार्यालय-पता-40, शंकरगंज, इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	अचल सम्पत्ति में ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अजय तिवारी को वारिस नाते प्राप्त भूमि है जो ग्राम गाडराखेडी, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित होकर उसका सर्वे क्रमांक 184/1 व 184/2 पेकि है.
चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 16 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1214)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक "श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन, सेवा सदन, इन्दौर" पता-59, भगवान महावीर मार्ग (पीपली बाजार), इन्दौर, म. प्र. तर्फे अध्यक्ष श्री मनोहरलाल जैन, निवासी-84, कंचनबाग, इंदौर द्वारा "श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन, सेवा सदन, इन्दौर" पता-59, भगवान महावीर मार्ग (पीपली बाजार), इन्दौर, म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन, सेवा सदन, इन्दौर"
पता	:	कार्यालय पता-59, भगवान महावीर मार्ग (पीपली बाजार), इन्दौर, म. प्र.
चल-अचल संपत्ति	:	न्यास की अचल सम्पत्ति में [म्यू. पा. नं. जूना 39 व म्यूनिसिपल म. नं. 49 (नया), पिपली बाजार, इन्दौर] है, जो न्यास को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28 जनवरी, 1963 से प्राप्त हुई है. इस प्रकार न्यास की कुल चल-अचल सम्पत्ति न्यास के अंकेक्षित सरवाया पत्रक दिनांक 31-03-2016 के अनुसार राशि रुपये 41,52,714/- (अक्षरी रुपये इक्तालीस लाख बावन हजार सात सौ चौदह) है.

आज दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(1215)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/366.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/449, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा श्री सिन्धु सेवा साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 2309 दिनांक 07 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारी का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें खण्डवा द्वारा जांच उपरान्त निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, श्रीमती मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए संस्था श्री सिन्धु सेवा साख सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 2309 दिनांक 07 फरवरी, 2015) जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(1187)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 16 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जयअम्बे माँ महिला बहु. सह. समिति मर्या., सिलवानी	2771/13-03-1999	734/29-03-2014
2.	माँ नर्मदा महिला बहु. सह. समिति मर्या., रामपुर	3041/01-08-2009	735/29-03-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया किशोर	2680/22-01-1999	733/29-03-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरीकलां	2704/01-05-2000	732/29-03-2014
5.	नर्मदाजी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2240/03-05-1985	337/07-03-2015
6.	साकेत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2072/13-01-1975	337/07-03-2015
7.	मानस बैंक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इटारसी	2431/14-05-1994	337/07-03-2015
8.	शाक्तिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2817/18-08-2004	337/07-03-2015
9.	सुरक्षा कागज कारखाना सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2041/23-01-1978	337/07-03-2015
10.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भिलाड़िया	2804/13-04-2004	674/29-03-2014
11.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., रेवामुहारी	2867/30-07-2005	675/29-03-2014
12.	माँ नर्मदा म.प्र. राज्य परि. स्वा., होशंगाबाद	01/04-02-2002	1068/10-09-2013
13.	आदर्श स्वायत साख, होशंगाबाद	56/24-08-2004	1068/10-09-2013
14.	संतोषी माता स्वा. साख, होशंगाबाद	76/15-05-2006	1068/10-09-2013
15.	अयोध्यावस्ती स्वा., होशंगाबाद	77/15-05-2006	1068/10-09-2013

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड या दस्तावेज तथा डेड स्टाक आदि प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) का उपयोग में लाते हुए मैं, एस. के. पाठक, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम 57(1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूं कि यदि उक्त संस्थाओं के दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारियां हो या दावे प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना जारी होने के 2 माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, निर्धारित अवधि के बाद दावों (क्लेमों) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी रहेगा, संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो, तो वह 2 माह के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसा व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा.

एस. के. पाठक,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(1188)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 10 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 तथा नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत

परिमसपान में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्त किये जाने का संशोधित आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आगम चेतना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सिवनी-मालवा	2432/05-06-1994	985/30-05-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय लिखित प्रमाण-पत्र के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा पुस्ताकों में समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे. उक्त सूचना के पश्चात् यदि पदाधिकारियों ने संपर्क नहीं किया तो पंजीयन निरस्ती हेतु आगामी कार्यवाही की जावेगी तथा दस्तावेजों के अप्राप्त रहने की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. के. पाटिल,
परिसमापक/अंके. अधिकारी.

(1188-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार सहकारी संस्थाएं, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शहडोल के आदेश द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, एम. जैनुल आबदीन, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों, सदस्यों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा	1073/23-12-2008	829/15-09-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंगेरा	1074/23-12-2008	830/15-09-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., समदाटोला	1069/19-12-2008	831/15-09-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पकरिया	1070/19-12-2008	832/15-09-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरवारी	1071/19-12-2008	833/15-09-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटकोना	1075/23-12-2008	834/15-09-2015
7.	प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रूंगटा कालरी	684/11-10-1968	836/15-09-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छांटा	1072/23-12-2008	846/15-09-2015
9.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोहपारू	1055/04-06-2007	617/25-06-2014
10.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., गिरवा	817/26-02-1989	626/26-06-2014
11.	आकाश खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., बुढ़ार	1019/26-02-2002	630/26-06-2014
12.	अमरकंटक हर्बल बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1052/11-04-2007	616/25-06-2014
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नगपुरा	1136/28-02-2015	415/25-04-2016
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरिहा	1135/28-02-2015	416/25-04-2016
15.	लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढ़िया	1145/28-02-2015	417/25-04-2016
16.	सिंहवाहिनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुरा	1122/05-06-2013	431/25-04-2016

यदि नियत तिथि तक किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा और संस्था का अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर पंजीयन निरस्त करने हेतु उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शहडोल को भेज दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एम. जैनुल आबदीन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1189-A)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सोनाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुर	1010/01-02-2001	400/24-06-2016
2.	विराट प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सोहागपुर	836/28-03-1991	837/15-09-2015
3.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बलपुरवा	954/07-01-1999	838/15-09-2015
4.	वन केन्द्र साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल	643/25-09-1990	839/15-09-2015
5.	द.पू. रेल्वे कर्म. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., शहडोल	01/01-08-1953	840/15-09-2015
6.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., वार्ड 1, धनपुरी	651/22-12-1998	841/15-09-2015
7.	श्री बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथखई	1082/29-05-2010	842/15-09-2015
8.	संजीवनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंदोहा	1091/14-07-2010	843/15-09-2015
9.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., चुनिया	432/09-03-2006	844/15-09-2015
10.	बजरंग हथकरघा सहकारी समिति मर्या., मैकी	431/08-03-2006	845/15-09-2015
11.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., बरतरा	639/21-03-1978	150/24-02-2016
12.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मैका	1047/17-05-2006	998/17-11-2015
13.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., टेटकी	811/12-01-1989	560/10-04-2000
14.	संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., अमलाई	--	--

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

ए. एल. गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-B)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/Q.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., शहडोल	905/03-02-1996	441/25-04-2016
2.	कबीर कामगार सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1066/22-02-2008	443/25-04-2016
3.	महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर, वार्ड 4	1049/29-06-2006	442/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(1189-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., चंदेला	771/30-03-1984	1107/31-12-2016
2.	जलक्षेत्र मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुर	817/24-04-2000	1108/31-12-2016
3.	आदर्श कत्था उद्योग सहकारी समिति मर्या., ब्यौहारी	635/17-06-1990	1109/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

डी. आर. सिंह,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-D)

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1110.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बजरंग दुग्ध, घी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढ़वा, तहसील ब्यौहारी, जिला-शहडोल.	1121/02-02-2013	435/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्था का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(1189-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मैरटोला, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल.	928/27-09-1996	1089/31-12-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल.	883/31-10-1995	1090/31-12-2016
3.	शिवानी ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमोड़ी, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल	682/30-11-1985	1091/31-12-2016
4.	सेनगंगा विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., सतखुड़ी (देवलोंद), तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल	1062/26-12-2007	887/15-09-2015
5.	आशीष ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., गजवाही, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल.	963/04-08-1999	1099/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

विष्णुदत्त,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-F)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/01.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम.संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मधुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुसरवाह	1161/27-08-2015	432/25-04-2016
2.	ठाकुरबाबा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मीठी	1159/27-08-2015	433/25-04-2016
3.	कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपरा टोला	1158/27-08-2015	434/25-04-2016
4.	दुर्गा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराछ	1157/27-08-2015	440/25-04-2016
5.	गौ लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसोहरा	1156/27-08-2015	439/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(1189-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. समिति मर्या., अमझोर	969/28-06-1999	1096/31-12-2016
2.	बंदना महिला प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., मोहनी	985/24-12-1999	1097/31-12-2016
3.	राधेकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुदरी	1144/28-02-2015	1098/31-12-2016
4.	स्वाती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., गिरूईबडी	1103/.....	1095/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

मधुकर पेटकर,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1189-H)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 02 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q-17.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निमिहा	1143/28-02-2015	413/25-04-2016
2.	नर्मदा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरका	1142/28-02-2015	414/25-04-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमारी टोला	1120/11-01-2013	412/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(1189-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय लक्ष्मी माँ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसियारी	1150/04-08-2015	1102/31-12-2016
2.	धनन्जय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुबरा	1152/04-08-2015	1104/31-12-2016
3.	गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितरांव	1151/04-08-2015	1103/31-12-2016
4.	गंगोत्री दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिमार	1149/04-08-2015	1101/31-12-2016
5.	कान्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लपरी	1148/04-08-2015	1100/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

अजय दुबे,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(1189-J)

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सत्यम् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमझोर, तहसील जयसिंहनगर, जिला-शहडोल.	1160/27-08-2015	1105/31-12-2016
2.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोढ़ीकला रेउसा, तहसील जयसिंहनगर, जिला-शहडोल.	1124/24-09-2013	1106/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

संजय सराफ,
वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-K)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विराट ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1082/27-01-2010	444/25-04-2016
2.	इंडियन क्रेडिट साख सहकारी समिति मर्या., शहडोल	1134/24-12-2014	445/25-04-2016
3.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लालपुर	1146/09-04-2015	446/25-04-2016
4.	माँ कंकाली महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., शहडोल	02/20-03-2014	447/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

रंजना किशन,
वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-L)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 24 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कतिरा	1153/27-08-2015	437/25-04-2016
2.	गोडवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चन्दोरा	1154/27-08-2015	438/25-04-2016
3.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., ढोलर	1083/04-02-2010	451/25-04-2016
4.	किरण महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., आमडीह	1009/24-11-2001	452/25-04-2016
5.	पनिका बुनकर सहकारी समिति मर्या., चितरांव	434/30-06-1963	1092/31-12-2016
6.	आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर	259/18-12-1954	1093/31-12-2016
7.	बासवेत उद्योग सहकारी समिति मर्या., जयसिंहनगर	319/31-03-1961	1094/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

विजेश कुमार मन्नेवार,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1189-M)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1932, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के द्वारा कर्मवीर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1253 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक सुश्री गीतांजली सेन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कर्मवीर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1253 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1190)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./472, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा गणेश प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1347 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती हेमलता डोगर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गणेश प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1347 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1190-A)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./829, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा महात्मा गांधी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1880 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महात्मागांधी सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1880 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1190-B)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./891, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा भाग्य श्री महिला रेडीमेड गारमेंट उद्योग सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1908 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सोनीलाल गौड़, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भाग्य श्री महिला रेडीमेड गारमेंट उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1908 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(1190-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 28 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/351.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियाँ एवं लेनदारियाँ का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 28 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., झापड़ी.	महेश्वर	1455/21-10-2005	1073/27-08-2016	श्री कैलाश वास्केल, व. स. नि.
2.	निमाड़ साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन.	खरगौन	1704/10-03-2014	1737/28-12-2010	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अ.
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., महुमांडली.	गोगावां	1581/12-09-2009	333/01-03-2016	श्री मनोहर वास्कले, स. नि.
4.	श्री जी प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., कसरावद.	कसरावद	1450/19-10-2005	1062/27-08-2016	श्री राजाराम भट्ट, सह. वि. अ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1191)

खरगौन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/368.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	माँ वैष्णो प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कसरावद.	कसरावद	1552/17-07-2008	1062/27-08-2016	श्री राजाराम भट्ट, सह.वि.अ., कसरावद
2.	नवदुर्गा म. बहु. सहकारी संस्था मर्या., कटघड़ा.	बड़वाह	1602/03-11-2010	1069/27-08-2016	श्री मनोहर वास्कले, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1191-A)

खरगौन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/367.—आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्रमांक कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्रमांक 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्रमांक 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण-पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक का उप-पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 31 मार्च, 2017 से निर्गमित निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा:-

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बिराली.	बड़वाह	1439/29-08-2005	1072/27-08-2016	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.
2.	नवदुर्गा म. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., सनावद.	बड़वाह	1616/11-08-2011	1072/27-08-2016	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.

1	2	3	4	5	6
3.	सनावद म. प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., सनावद.	बड़वाह	1229/28-07-1999	1072/27-08-2016	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.
4.	जय गुरूदेव प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., मण्डलेश्वर.	महेश्वर	1628/22-12-2012	380/09-03-2016	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.
5.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नलवा.	बड़वाह	1331/31-03-2003	1072/27-08-2016	श्री एच. सी. यादव, उप अंके.
6.	लालबैड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायबीड़पुरा.	खरगौन	1555/15-09-2008	1064/27-08-2016	श्री बी. एल. सोलंकी, सह.वि.अ., खरगौन

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(1191-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
महिला शक्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,
पंजीयन क्र.ए.आर.बी/623, दिनांक 11 जुलाई, 1994.
द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1166.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों कां पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि महिला शक्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/623, दिनांक 11 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

देवी अहिल्या सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/783, दिनांक 27 अप्रैल, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1167.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि देवी अहिल्या सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/783, दिनांक 27 अप्रैल, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-A)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नव दुर्गेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/741, दिनांक 13 अक्टूबर, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1168.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नव दुर्गेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/741, दिनांक 13 अक्टूबर, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-B)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ महामाया सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/910, दिनांक 19 जून, 2002.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1169.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ महामाया सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/910, दिनांक 19 जून, 2002 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-C)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
स्मृति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,
पंजीयन क्र.ए.आर.बी/753, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1170.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि स्मृति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/753, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-D)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आदर्श सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./1086, दिनांक 19 सितम्बर, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1171.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आदर्श सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./1086, दिनांक 19 सितम्बर, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-E)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू स्वाती सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./745, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1172.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू स्वाती सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./745, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-F)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मिन्हा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./659, दिनांक 18 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1173.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मिन्हा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र. ए.आर.बी./659, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-G)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

करण सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./628, दिनांक 12 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1174.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि करण सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./628, दिनांक 12 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-H)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रिया कांता सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./709, दिनांक 18 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1175.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रिया कांता सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./709, दिनांक 18 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-I)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आबिदा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./705, दिनांक 05 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1176.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आबिदा सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./705, दिनांक 05 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-J)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राष्ट्रीय महिला सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./515, दिनांक 30 अप्रैल, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1177.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.

2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.

3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.

4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.

5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राष्ट्रीय महिला सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./515, दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-K)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

पूनम महिला सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./510, दिनांक 28 मार्च, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1178.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि पूनम महिला सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./510, दिनांक 28 मार्च, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-L)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू कल्याणी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./987, दिनांक 07 अगस्त, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1179.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू कल्याणी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./987, दिनांक 07 अगस्त, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-M)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

रितु सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./790, दिनांक 17 जुलाई, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1180.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि रितु सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./790, दिनांक 17 जुलाई, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-N)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सूबी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./788, दिनांक 27 जून, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1181.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सूबी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./788, दिनांक 27 जून, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-O)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

एमन सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./684, दिनांक 28 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1240.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि एमन सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./684, दिनांक 28 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-P)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सोनिया सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./488, दिनांक 20 अगस्त, 1993.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1182.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सोनिया सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./488, दिनांक 20 अगस्त, 1993 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-Q)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मीनाली सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./944, दिनांक 08 अगस्त, 2003.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1183.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मीनाली सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./944, दिनांक 08 अगस्त, 2003 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-R)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

श्रीराम सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./946, दिनांक 25 जून, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1184.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि श्रीराम सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./946, दिनांक 25 जून, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-S)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जनसेवा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./920, दिनांक 14 मार्च, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1185.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जनसेवा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./920, दिनांक 14 मार्च, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-T)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू कविता सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./690, दिनांक 08 जनवरी, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1186.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू कविता सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./690, दिनांक 08 जनवरी, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-U)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सोनू महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./702, दिनांक 05 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1187.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सोनू महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./702, दिनांक 05 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-V)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मानव महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./1090, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1188.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मानव महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./1090, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-W)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू प्रगतिशील सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/744, दिनांक 13 अक्टूबर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1189.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू प्रगतिशील सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/744, दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-X)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नव सपना सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./742, दिनांक 13 अक्टूबर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1190.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नव सपना सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./742, दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-Y)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सपना सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./534, दिनांक 24 मार्च, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1191.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133,

दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सपना सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./534, दिनांक 24 मार्च, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1192-Z)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू श्वेता सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./585, दिनांक 19 जून, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1192.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू श्वेता सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.ए.आर.बी./585, दिनांक 19 जून, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शैलानी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./584, दिनांक 16 जून, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1193.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शैलानी सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./584, दिनांक 16 जून, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-A)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भारत महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी./ , दिनांक 28 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1194.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि भारत महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी./ , दिनांक 28 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-B)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आयूषी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/959, दिनांक 22 अक्टूबर, 2009.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1195.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आयूषी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/959, दिनांक 22 अक्टूबर, 1994को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-C)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

यशोदा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1115, दिनांक 30 अप्रैल, 2008.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1196.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि यशोदा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1115, दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-D)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

इन्द्रा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/823, दिनांक 29 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1197.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि इन्द्रा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/823, दिनांक 29 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-E)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मूनलाईट सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/535, दिनांक 26 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1198.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मूनलाईट सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/535, दिनांक 26 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-F)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू सुनरम सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1008, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1199.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू सुन्नम सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1008, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-G)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुभद्रा महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/619, दिनांक 08 नवम्बर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1200.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुभद्रा महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/619, दिनांक 08 नवम्बर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-H)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

आर्दश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/805, दिनांक 09 मई, 1996.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1201.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि आर्दश सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/805, दिनांक 09 मई, 1996 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-I)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

कंगना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/943, दिनांक 15 जून, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1202.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि कंगना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/943, दिनांक 15 जून, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-J)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सूरभिका सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/546, दिनांक 28 सितम्बर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1203.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सूरभिका सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/546, दिनांक 28 अप्रैल, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-K)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शबरी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/818, दिनांक 29 अप्रैल, 1999.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1204.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शबरी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/818, दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-L)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गायत्री कर्मश्री सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/994, दिनांक 06 अगस्त, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1205.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गायत्री कर्मश्री सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/994, दिनांक 06 अगस्त, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-M)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

महाभारत सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/714, दिनांक 16 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1206.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि महाभारत सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/714, दिनांक 16 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-N)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

स्वदेशी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/720, दिनांक 24 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1207.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि स्वदेशी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/720, दिनांक 24 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-O)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

दुर्गा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/655, दिनांक 18 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1208.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि दुर्गा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.ए.आर.बी/655, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-P)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सुधा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/586, दिनांक 26 जून, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1209.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सुधा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/586, दिनांक 26 जून, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-Q)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

त्रिलंगाना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/754, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1210.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि त्रिलगांना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/754, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-R)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

बतरा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/736, दिनांक 03 सितम्बर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1211.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि बतरा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/736, दिनांक 03 सितम्बर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-S)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
वैकुण्ठी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,
पंजीयन क्र.ए.आर.बी/925, दिनांक 02 अप्रैल, 2007.
द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1212.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वैकुण्ठी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.ए.आर.बी/925, दिनांक 02 अप्रैल, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-T)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गायत्री सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/527, दिनांक 20 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1213.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गायत्री सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/527, दिनांक 20 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-U)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/516, दिनांक 02 मई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1214.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/516, दिनांक 02 मई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-V)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

फलक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/938, दिनांक 28 मई, 2007.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1215.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि फलक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/938, दिनांक 28 मई, 2007 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-W)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मुस्कान सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/998, दिनांक 27 सितम्बर, 2011.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1216.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मुस्कान सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन

क्र.ए.आर.बी/998, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-X)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

हस मुख सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/512, दिनांक 17 जनवरी, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1217.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि हस मुख सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/512, दिनांक 17 जनवरी, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-Y)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

ताज सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/611, दिनांक 07 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1218.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ताज सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/611, दिनांक 07 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1193-Z)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

किसना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1007, दिनांक 28 सितम्बर, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1219.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि किसना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/1007, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

प्रिसेसं सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/657, दिनांक 18 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1220.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रिसेसं सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/657, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-A)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

शासकीय हमीदिया सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/769, दिनांक 22 फरवरी, 1995.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1221.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि शासकीय हमीदिया सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/769, दिनांक 22 फरवरी, 1995 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-B)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

नव-जागृति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/721, दिनांक 24 अगस्त, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1222.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि नव-जागृति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/721, दिनांक 24 अगस्त, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-C)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मेनका सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/608, दिनांक 07 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1223.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द"

वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मेनका सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/608, दिनांक 07 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-D)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ पार्वती सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/661, दिनांक 18 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1224.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ पार्वती सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/661, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-E)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

सूचिता सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/973, दिनांक 03 मार्च, 2004.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1225.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि सूचिता सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/973, दिनांक 03 मार्च, 2004 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-F)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

वर्षा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/615, दिनांक 08 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1226.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वर्षा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/615, दिनांक 08 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-G)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

न्यू शहर सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/614, दिनांक 08 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1227.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि न्यू शहर सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/614, दिनांक 08 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-H)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

साक्षी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/617, दिनांक 08 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1228.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि साक्षी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/617, दिनांक 08 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-I)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अनन्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/972, दिनांक 26 अप्रैल, 2010.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1229.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अनन्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/972, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अत: मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिश: अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-J)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

मंजू सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/975, दिनांक 28 अप्रैल, 2010.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1230.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मंजू सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/975, दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-K)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ शारदा महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/552, दिनांक 06 अप्रैल, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1231.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ शारदा महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/552, दिनांक 06 अप्रैल, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-L)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अमूल सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/551, दिनांक 04 जून, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1232.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अमूल सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/551, दिनांक 04 जून, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-M)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

दी ग्रेट महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/674, दिनांक 26 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1233.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि दी ग्रेट महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/674, दिनांक 26 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-N)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ पार्वती सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/661, दिनांक 18 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1234.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि माँ पार्वती सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/661, दिनांक 18 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-O)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

राशि सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/771, दिनांक 06 मार्च, 1993.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1235.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक

23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राशि सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/771, दिनांक 06 मार्च, 1993 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-P)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अपना महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/776, दिनांक 21 जनवरी, 1998.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1236.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अपना महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/776, दिनांक 21 जनवरी, 1998 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-Q)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जूही महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/665, दिनांक 27 अप्रैल, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1237.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि जूही महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/665, दिनांक 27 अप्रैल, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-R)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

अमर ज्योति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/688, दिनांक 30 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1238.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि अमर ज्योति सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/688, दिनांक 30 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-S)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

वन्दना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/687, दिनांक 30 जुलाई, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1239.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत

की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि वन्दना सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/687, दिनांक 30 जुलाई, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1194-T)

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

गरिमा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल,

पंजीयन क्र.ए.आर.बी/717, दिनांक 28 सितम्बर, 1994.

द्वारा-संस्था अंकेक्षण वर्ष 2015-16.

क्र./परि./2017/1241.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र./अंके./2017/133, दिनांक 23 मार्च, 2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था विगत 5-6 वर्षों से लगातार अकार्यशील/निष्क्रिय तथा अंकेक्षण में "द" वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था विगत 5-6 वर्ष से निष्क्रिय/अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है.
3. संस्था पंजीयन शर्तों का पालन नहीं कर रही है.
4. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
5. संस्था की निष्क्रियता से उसका रिकार्ड प्रतिवर्ष नहीं लिखा जा रहा है और न ही उप/सहायक पंजीयक को अपने वित्तीय पत्रक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गरिमा सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., भोपाल, पंजीयन क्र.ए.आर.बी/717, दिनांक 28 सितम्बर, 1994 को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, अखिलेश चौहान, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत प्राप्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 यथा संशोधित दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको कुछ नहीं कहना है अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 मई, 2017 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित हो सकते हैं.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश चौहान,
सहायक पंजीयक.

(1194-U)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 22 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/641. —फल एवं साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुरा का पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्लू.आर./473, दिनांक 28 जून, 1988 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2010/1100, दिनांक 29 जून, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एम. एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये फल एवं साग-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काशीपुरा का आदेश जारी करने के दिनांक 22 मार्च, 2017 से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1195)

जे. सी. मिल हायर सेकण्डरी स्कूल उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्लू.आर./244, दिनांक 10 जून, 1967 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/1996/1265, दिनांक 02 अगस्त, 1996 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री जे. के. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जे. सी. मिल हायर सेकण्डरी स्कूल उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक 22 मार्च, 2017 से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1195-A)

शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक ए.आर./जी.डब्लू.आर./960, दिनांक 28 जून, 2004 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2016/1014, दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक 22 मार्च, 2017 से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1195-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./107, दिनांक 16 फरवरी, 1983 है. संस्था प्रशासक के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आई हैं:-

1. संस्था संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को समाप्त हो गया था. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क, ख) (2) के अनुसार नियत दिनांक के पूर्व निर्वाचन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण 49 (7-क, ख) (2) संस्था में प्रशासक नियुक्त किया है.
2. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
3. संस्था अध्यक्ष भी अपने पते पर निवास नहीं करता है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने से संस्था को अंकेक्षण वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अकार्यशील वर्ग में वर्गीकृत किया गया है.
5. संस्था अध्यक्ष निवास के पते पर उपलब्ध न होने एवं संस्था के पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं से प्रशासक को संस्था का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये जारी यह कारण बताओ सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर न्यायोचित निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 15 मई, 2017 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तद्नुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1196)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 अप्रैल, 2017

क्र./परि./2017/1414. ——मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) कात्या बीज उत्पादक एवं कृषि सहकारी संस्था मर्या., पालदा, इन्दौर जिसका पंजीयन क्र. 90, दिनांक 06 सितम्बर, 2013 है, को इस कार्यालय के आदेश क्र. 1081, दिनांक 04 मार्च, 2017 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आई. सी. वर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर, कि संस्था का वर्ष 2015-16 का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है एवं संस्था पंजीकृत पते पर कार्यरत है. अत: संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उसे पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक है. संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया. संस्था द्वारा स्थानीय समाचार-पत्र, इन्दौर सिटी में बैठक की सूचना प्रकाशित किया जाकर पुनर्जीवित की कार्यवाही की गई.

संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित किया कि दिनांक 05 अप्रैल, 2017 को संस्था की वार्षिक साधारण सभा में संस्था के समस्त सदस्य (उपस्थित) द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु सहमति व्यक्त की है. समस्त परिसमापक द्वारा अवगत कराया है कि संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित कराने का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि संस्था के वर्तमान एवं नवीन बनने वाले सदस्य संस्था के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की उक्त अनुसार मांग की गई है. अत: संस्था हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. उपरोक्त में प्रकाश में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था के हित में है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह/एफ-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कात्या बीज उत्पादक एवं कृषि सहकारी संस्था मर्या., पालदा, इन्दौर का परिसमापन आदेश क्र./परि./2017/1081, दिनांक 04 मार्च, 2017 मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त करता हूँ.

के. पाटनकर,
उप-रजिस्ट्रार.

(1197)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना

गुना, दिनांक 23 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/419.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./विधि/2015/601, दिनांक 05 मई, 2015 के द्वारा मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, शीतलामाता, गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 23 फरवरी, 1963 है के निष्क्रिय होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया तथा आदेश क्रमांक/विधि/2015/601, दिनांक 05 मई, 2015 के द्वारा श्री बी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक की अध्यक्षता में मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, शीतलामाता, गुना की आमसभा दिनांक 29 जनवरी, 2017 में पारित निर्णय अनुसार संस्था सदस्यों के संस्था पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है. संस्था सदस्यों के द्वारा उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था हित में कार्य करने की सहमति प्रस्तुत की गई है. उक्त के संबंध में परिसमापक श्री बी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया का परीक्षण करने पर पाया गया कि, संस्था सदस्यों के हितों को संरक्षण दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, भारतीय शेखावत, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति कमांक/एफ/5-1-99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, शीतलामाता, गुना का परिसमापन आदेश क्रमांक/विधि/2015/601, दिनांक 05 मई, 2015 को निरस्त करते हुए संस्था को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था की आमसभा द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन होने तक निम्नांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नामांकित करता हूँ:-

1.	श्री सीताराम/धन्नालाल	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम/दीनदयाल	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति गुडडीबाई/किसन केवट	संचालक
4.	श्रीमति सरोजबाई/लक्ष्मण	संचालक
5.	श्री भोलाराम/सोमालाल	संचालक
6.	श्री अरूण/रामसेवक	संचालक
7.	श्री हरनारायण/भमरलाल	संचालक
8.	श्री प्रेमनारायण/दीनदयाल	संचालक
9.	श्री मुकेश केवट/बाबूलाल	संचालक
10.	श्री मूलचंद/बालचंद	संचालक
11.	श्री देवेन्द्र/रामसेवक	संचालक

संस्था को निर्देशित किया जाता है कि नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नियमानुसार तीन माह में विधि अनुसार कार्य प्रारंभ करे एवं निर्वाचन पूर्ण करावें.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भारतीय शेखावत,
उप-पंजीयक.

(1198)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/153.—डिण्डौरी सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 28 मार्च, 2014, विकासखंड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./363, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,

को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिण्डौरी सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1199)

डिण्डौरी, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/154.—माँ नर्मदा कर्मचारी/अधिकारी कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 26 अगस्त, 2003, विकासखंड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./360, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा कर्मचारी/अधिकारी कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1199-A)

डिण्डौरी, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/155.—माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 27 मार्च, 2014, विकासखंड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./373, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1199-B)

डिण्डौरी, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/156.—महालक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुर्रा, पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 14 मार्च, 2008, विकासखंड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर

धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./375, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महालक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुर्रा, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1199-C)

डिण्डौरी, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी/2017/157.—स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., नर्मदागंज डिण्डौरी, पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 26 मार्च, 2001, विकासखंड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./399, दिनांक 17 जून, 2014 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्डा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., नर्मदागंज डिण्डौरी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. कन्डा
सहायक पंजीयक.

(1199-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 07 जनवरी, 2017

संशोधित कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2016/20-55.-

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजी. क्र./दिनांक (3)
1.	वीरांगना प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., लिधौरा	801/27-10-2005
2.	गणपति प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जेरोन	804/09-11-2005
3.	निराश्रित पेंशन सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., टीकमगढ़	814/18-01-2006
4.	जय बाबा प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., टीकमगढ़	815/18-01-2006
5.	माँ वैष्णोदेवी प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., जेरोन	840/20-08-2007
6.	पुलिस प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., सिविल लाईन, टीकमगढ़	910/24-10-20012
7.	अछरूमाता प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., पृथ्वीपुर	867/14-05-2010
8.	ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सह. समिति, तरीचरकला	689/12-02-2002
9.	ईंधन आपूर्ति उपभोक्ता सह. समिति मर्या., पलेरा	749/28-08-2004
10.	भारत पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., चचावनी	664/03-11-2002

(1)	(2)	(3)
11.	कुण्डेश्वर बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., गनेशगंज	716/19-02-2003
12.	राधे-राधे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोरी	851/14-11-2008
13.	माँ पार्वती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	862/06-08-2009
14.	अंकुर भू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	865/02-12-2009
15.	गुरू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलगांय	875/10-08-2010
16.	धूमगढ़ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केलपुरा	908/22-12-2010
17.	श्री बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बैरवार	912/20-12-2010
18.	सांझी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पृथ्वीपुर	924/09-06-2011
19.	माँ गिद्धवाहिनी किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुडार	934/20-06-2011
20.	नारायणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचौरा	935/20-06-2011
21.	मां पद्मावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटेरा	1025/24-08-2012
22.	हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मामौरा	348/26-03-1985
23.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सकेरा मडरावन	440/22-11-1991
24.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., विरोराखेत	441/26-02-1992
25.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., गुना	709/28-10-2002
26.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	721/02-09-2003
27.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., वृषभानपुरा	456/24-03-1995
28.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मुर्राहबाबा	626/27-09-1999
29.	पीतल पात्र एवं खिलौना उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	309/18-07-1990
30.	नागरिक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	839/20-08-2007
31.	नागरिक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., पृथ्वीपुर	509/04-09-1997
32.	राधेश्याम नागरिक प्राथ. सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	636/22-03-2000
33.	श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	447/24-03-1994
34.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सकेरा भंडारण	591/08-09-1998
35.	मां भावरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सैपुरा	758/23-09-2004
36.	गोकुल ग्राम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, भेला	775/19-05-2005

उक्त संस्थाएं वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके अंतर्गत बने नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य नहीं करने के निम्न प्रमुख कारणों से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित एवं आवश्यक है.

1. संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं कर पा रही है.
3. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है.
4. संस्था के संचालन में सदस्यों की रुचि नहीं है.
5. संस्था ने पंजीयन उपरांत युक्तियुक्त समय में अपना व्यवसाय नहीं किया.
6. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
7. संस्था नियम अनुसार कार्यकारिणी कमेटी की बैठक निर्धारित समय पर बुलाने में असफल रही है.
8. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन ड्यू हो गया है.

अतः मैं, एस. पी. कौशिक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99-पन्द्रह-एफ-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र देता हूं कि क्यों न संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की कार्यवाही की जावे. यदि इस संबंध में आपको अपना पक्ष समर्थन करने में कुछ कहना हो तो दिनांक 24 जनवरी, 2017 को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, टीकमगढ़ में दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं

तथा उन अभिलेखों/दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत तिथि एवं समय पर आपके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह समझा जावेगा कि आपको अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है. तद्नुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत समिति का परिसमापित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जायेगा. यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. पी. कौशिक,
उप-पंजीयक.

(1200)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला-डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन समितियों के नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	इन्द्रजीत चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., खिरसारी	04/06-10-1997	177/15-03-2013
2.	ईंट, खपरा सहकारी समिति मर्या., बजाग	21/26-04-2007	398/17-06-2014
3.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., भानपुर	24/16-01-1960	410/17-06-2014
4.	नर्मदा बुनकर सहकारी समिति मर्या., लिखनी	39/23-09-1989	359/11-07-2016
5.	चन्द्र बुनकर सहकारी समिति मर्या., सरवाही	378/30-03-1992	411/17-06-2014
6.	नवीन बुनकर सहकारी समिति मर्या., पिण्डरूखी	426/07-02-1984	407/27-09-2013
7.	कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्या., पिण्डरूखी	32/24-02-1989	419/03-10-2013
8.	पर्यटन सहकारी समिति मर्या., जगतपुर	66/27-03-2014	367/11-07-2016
9.	नवयुवक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझियाखार	52/25-09-2013	370/11-07-2016

अत: मैं, एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावें/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उपरोक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास उपरोक्त समितियों का कोई लेखा-पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना-पत्र आज दिनांक दिनांक 20 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एल. आर. परते,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1204)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला-टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता,

जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् अद्योहस्ताक्षर को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5
1.	बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	01/18-06-1976	764/30-02-2015	टीकमगढ़
2.	हथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., पैतपुरा	302/12-03-1989	163/03-03-2015	जतारा
3.	शिव बुनकर सहकारी समिति मर्या., लिधौरा	334/10-10-1983	41/27-01-2015	जतारा
4.	लोकसेवक प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	22/03-02-1950	1014/09-08-2010	टीकमगढ़
5.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., हीरानगर	186/24-02-1962	1006/09-08-2010	टीकमगढ़
6.	गुंडखांडसरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., लड़वारी	169/17-01-1962	999/05-11-2010	बल्देवगढ़
7.	गुंड़खांडसरी उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	192/22-09-1962	998/09-08-2010	टीकमगढ़
8.	यातायात सहकारी समिति मर्या., कुण्डेश्वर	446/18-05-1993	1010/09-08-2010	टीकमगढ़
9.	आदर्श ग्राम महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., धौर्रा	670/28-02-2002	177/03-03-2015	जतारा
10.	नारायण सूत भण्डार सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	01/01-01-1949	1015/09-08-2010	टीकमगढ़
11.	कुम्भकार उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	248/02-01-1965	998/09-08-2010	टीकमगढ़
12.	चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सकेरा भड़ारन	263/25-08-1967	1013/09-08-2010	पृथ्वीपुर
13.	तेल, साबुन उत्पा. सहकारी समिति मर्या., भेलसी	193/22-09-1962	1012/09-08-2010	बल्देवगढ़
14.	महिला बहु. उ. सहकारी समिति मर्या., बछोड़ा	687/24-04-2002	158/03-03-2015	जतारा
15.	महिला बहु. उ. सहकारी समिति मर्या., चन्द्रपुरा	846/26-07-2008	159/03-03-2015	जतारा
16.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण, टीकमगढ़	11/09-12-1970	08/24-01-2009	टीकमगढ़

अत: मैं, डी. के. जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियों स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/ व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तें, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अंदर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिल या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाती है.

डी. के. जैन,
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

(1201)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला-टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् अद्योहस्ताक्षर को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5
1.	प्रीति महिला सहकारी समिति मर्या., बम्हौरी बराना	696/02-07-2002	754/30-07-2015	जतारा
2.	गोकल ग्राम महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुंवरपुरा	783/06-06-2005	755/30-07-2015	जतारा
3.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चंदेरा	342/11-01-1985	756/30-07-2015	जतारा
4.	गौढ़ बाबा ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., चुरारा	829/05-09-2006	757/30-07-2015	निवाड़ी
5.	माँ पीताम्बरा मुद्रणालय एवं ऑफसेट सहकारी समिति मर्या., जतारा	808/21-11-2006	758/30-07-2015	जतारा
6.	महिला नागरिक सहकारी समिति मर्या., रतनगुवां	843/28-11-2007	759/30-07-2015	जतारा
7.	लक्ष्मी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	719/12-06-2003	760/30-07-2015	टीकमगढ़
8.	वर्धमान नागरिक सहकारी समिति मर्या., कारी	723/27-09-2003	761/30-07-2015	टीकमगढ़
9.	पारस नागरिक सहकारी समिति मर्या., कारी	725/11-11-2003	762/30-07-2015	टीकमगढ़
10.	श्रमिक ठेका नागरिक सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	356/14-11-1986	763/30-07-2015	टीकमगढ़
11.	मांझी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., कुण्डेश्वर	724/06-10-2003	170/03-03-2015	टीकमगढ़
12.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरेठी	623/07-08-1999	1306/30-12-2014	जतारा
13.	माँ दुर्गा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लाल खुर्द	756/22-09-2004	336/05-03-2014	जतारा
14.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुंवरपुरा	853/13-01-2009	335/05-03-2014	जतारा

अत: मैं, एस. के. रावत, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियों स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/ व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तें, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अंदर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिल या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाती है.

एस. के. रावत,
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

(1202)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जिला-टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/Q.-सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला टीकमगढ़ के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा धारा-70 (1) के तहत् अद्योहस्ताक्षर को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र. क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	तहसील/ विकासखण्ड
1	2	3	4	5
1.	मत्स्य सहकारी समिति मर्या., डुडियन खेरा	345/24-01-1985	189/24-01-2009	बल्देवगढ़

1	2	3	4	5
2.	मदर टेरेसा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., टीकमगढ़	568/24-06-1998	915/24-09-2016	टीकमगढ़
3.	रामलला नागरिक सहकारी समिति मर्या., भेलसी	727/12-01-2004	246/30-01-2012	बल्देवगढ़
4.	ज्लदेवी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., गुदनवारा	453/31-05-1997	246/30-01-2012	टीकमगढ़
5.	वनदेवी मस्य सहकारी समिति मर्या., शंकरगढ़	592/11-09-1998	169/03-03-2015	टीकमगढ़
6.	बैजनाथ मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नयागांव	852/18-11-2008	314/05-03-2014	पलेरा
7.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., कुड़याला	331/27-07-1983	37/27-01-2015	पलेरा
8.	जय माता यातायात सहकारी समिति मर्या., पलेरा	444/02-11-1992	166/03-03-2015	पलेरा
9.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुरा	740/04-06-2004	914/24-09-2016	टीकमगढ़
10.	बैनीबाई महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कांटीखास	847/06-08-2008	331/05-03-2014	टीकमगढ़
11.	श्री कृष्णा नागरिक सहकारी समिति मर्या., बल्देवगढ़	842/22-11-2007	245/30-01-2012	बल्देवगढ़

अतः मैं, राजेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 01 माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियों स्वरूप प्रमाण-पत्र सहित मुझे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं. इस संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया जायेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों/व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तें, रिकॉर्ड, रोकड़ या अन्य सामान हो, तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह के अंदर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिल या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति की होगी.

यह सूचना आज दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की जाती है.

राजेश गुप्ता,

(1203) परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा तिहलन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैथल, जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 11 जून, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. मालवीय, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा हरिओम वेयर हाऊसिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1574, दिनांक 13 जुलाई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-A)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा भारतीय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 27 दिसम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-B)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 576, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा कर्मचारी कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 08 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चौहान, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-C)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1906, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा माँ लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जलवा, तहसील घट्टिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 1739, दिनांक 05 जनवरी, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-D)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा शिव महिमा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 17 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-E)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलू, तहसील बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 609, दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-F)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1113, दिनांक 01 जून, 2012 द्वारा श्री महिमा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 17 जून, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1205-G)

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1226.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 556, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी, तहसील बड़नगर, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(1205-H)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई, 2017-वैशाख 15, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, झाबुआ, बुरहानपुर, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिण्डौरी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला सतना में फसल गेहूँ, डिण्डौरी में चना, गेहूँ, अलसी, मटर, मसूर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, उज्जैन, आगर, झाबुआ, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला अनूपपुर, कटनी, डिण्डौरी, सिवनी व बालाघाट में फसल धान दमोह, सीधी, खरगौन व सीहोर में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		तुअर, मूँग, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		सोयाबीन.		
			(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवड़ा	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर, चना, राई-सरसों मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढार	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. गोहपारू	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ कम. अलसी, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, उड़द अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, धान अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्ठीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, गेहूँ की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) कपास अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .		(2) . .		
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावरा	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. रेहटी	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) धान, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) धान, तुअर, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		कोदों-कुटकी अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		उड़द कम.		
4. मझोली	. .		(2) . .		
5. कुण्डमपुर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	की कटाई का कार्य	4. (1) तुअर, ज्वार.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .			चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) . .		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. बजाग	. .			चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .			चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		(2) . .		
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
13. उमरेठ	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों कटाई का कार्य चालू है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .			चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .		(2) . .		
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				

टीप.-*जिला सिंगरौली, नीमच, धार, खंडवा, राजगढ़ व बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1210)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.